झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

–: आदेश :–

सं.सं.–02/वि.1–03/2024...744.../राज्य में बढ़ते गर्मी के प्रभाव को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों में अगले आदेश तक के लिए वर्ग–K.G. से वर्ग–08 तक की कक्षाएँ प्रातः 07:00 बजे से पूर्वा. 11:30 बजे तक तथा वर्ग–09 से वर्ग–12 तक की कक्षाएँ प्रातः 07:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।

2. उक्त के आलोक में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शेष समय (प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह आदेश दिनांक–21.04.2026 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

4. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20.04.26
(मोईनउद्दीन खान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–02/वि.1–03/2024...744.../ राँची, दिनांक...20.04-2026.../

प्रतिलिपिः– विभागीय सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण/ निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.04.26
सरकार के संयुक्त सचिव।